

समझौता ज्ञापन (MOU)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली- कोटी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तानान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है। तथा मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने पर हस्तानान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। ग्राम नौली में खसरा न0 2, रकबा 7.248 में 4.440 है0 भूमि श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषक भूमि क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है। अतः उपरोक्त स्थल देने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

लक्ष्मीलाल
कर्णप्रयाग

50/11/17

उप जिला अधिकारी
चमोली

जिला अधिकारी
चमोली